भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4166
उत्तर देने की तारीख: 13 दिसम्बर, 2019

वैश्विक बायो इंडिया शिखर सम्मेलन, 2019

4166. श्री प्रतावराव जाधव:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव खांडलिक:
श्रीमती रक्षा निखिल माडसे:
श्री विद्युत बरन महतो:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व को जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता दिखाने और वैश्विक मानचित्र पर इस उद्योग को तेजी से ऊपर उठाने के लिए कार्रवाई योग्य रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत में पहली बार वैश्विक बायो-इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया है/आयोजित करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में देशभर में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेटर की स्थापना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(डॉ हर्ष वर्धन)

क. बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ एरोसिटी, नई दिल्ली में 21 -23, नवंबर 2019 के बीच ग्लोबल बायो-इंडिया 2019, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता

प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक स्तर पर पहला आयोजन किया। इस आयोजन में 2500 से अधिक प्रतिनिधि, 190 प्रदर्शक, 25 से अधिक देश, 230 से अधिक स्टार्ट-अप्स, 50 से अधिक इन्क्यूबेटर, 60 से अधिक शोध संस्थान और 9 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने 800 से अधिक बैठकों में भागीदारी की। इसमें विभिन्न विषयों की कार्यसूची के बारे में 40 सत्र, 3 बड़े सत्र, 3 अलग-अलग सीईओ पैनल, 2 कार्यशालाएं, नीति संवाद और बूट शिविर थे। इस कार्यक्रम में वैक्सीन, जैव समानताओं, चिकित्सा उपकरण और नैदानिकी, कृषि, औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी, जैव सुविधाएं, उभरती हुई चिकित्सा पद्धतियां, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बिग डाटा, औषधि खोज, नियामक अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सामाजिक नवाचार तथा उद्यमिता के संबंध में समांतर सत्र समर्पित थे। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम निवेशकों की वापसी, अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र संपर्क, परिवर्तनीय अनुसंधान, वैश्विक भागीदारी, नीति निर्धारकों और सीईओ के साथ बातचीत, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय उत्पाद विकास विशेषज्ञों और नियामक विशेषज्ञों के साथ चर्चा का साक्षी रहा।

ख. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी देश बनाने के लिए प्रयासरत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के स्वायत्तशासी संस्थान और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में विशेष ध्यान दे रही हैं। निम्नलिखित नीतियों के माध्यम से "न्यू इंडिया" में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु फ्लैगशिप और मिशन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है: क) विज्ञान - वैश्विक प्रभाव के लिए प्रयास, ख) प्रौद्योगिकी - नवाचार-संचालित उद्योगों का उत्प्रेरण, ग) मानव संसाधन - पोषण संबंधी अंतःविषयक नेतृत्व और घ) सशक्तिकरण - समावेशी आर्थिक विकास सक्षमता। बायोटेक्नोलॉजी विभाग 2025 तक भारत को $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक जैव-विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-20 की सिफारिशों को लागू कर रहा है।

ग. डीबीटी द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ चौदह समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, नामत; ऑस्ट्रेलिया (1), बेल्जियम (1), ब्राजील (1), कनाडा (1), कोस्टा रिका (1), क्यूबा (1), डेनमार्क (1), फिनलैंड (1), जापान (1), स्वीडन (1), स्विट्जरलैंड (1), ट्यूनीशिया (1) और यूनाइटेड किंगडम (2)।

घ. डीबीटी ने राज्य सरकारों के सहयोग से असम, केरल, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में एक-एक और तमिलनाडु में दो सहित कुल नौ जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 41 इन्क्यूबेटरों का समर्थन किया है, नामत:; पंजाब (1), दिल्ली (4), गोवा (1), गुजरात (4), हरियाणा (1), कर्नाटक (5), महाराष्ट्र (3), ओडिशा (1), तमिलनाडु (7), तेलंगाना (7), उत्तर प्रदेश (1), उत्तराखंड (1), आंध्र प्रदेश (2), असम (2) और मिजोरम (1)।

****